न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारीः– गितेश श्री मालवीय (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
33/2017 (GCMS 2017/00153)	01.05.2017	03.08.2022

उनवान

सरकार जरिये देवेन्द्र सिंह राणावत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

1–सत्यनारायण बाल्दी पुत्र मोहनलाल (विक्रेता/मालिक) मैसर्स सत्येश ज्यूस सेन्टर 18, प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़ निवासी 18, प्रतापनगर चित्तौड़गढ़
2–शिव सिंह चारण पुत्र मूलसिंह चारण (विक्रेता/मालिक) मैसर्स भूपेन्द्र मार्केटिंग दुकान नम्बर–11, कुम्भानगर, चित्तौड़गढ़ निवासी 67, नीलकंठ कॉलोनी, चित्तौड़गढ़
3–रमेश सिंह रावत पुत्र गुमान सिंह रावत (नोमिनी) मैसर्स हिन्दुस्तान कोका कोला ब्रेवरेजेज प्राईवेट लिमिटेड़, ई–1552/1, चिकलवास बडगांव, उदयपुर निवासी एन–III/13, एल. आई. सी. फ्लेट्स, सेक्टर–6, विद्याधर नगर, जयपुर
4–मैसर्स हिन्दुस्तान कोका कोला ब्रेवरेजेज प्राईवेट लिमिटेड़, ई–1552/1, चिकलवास बडगांव, उदयपुर

–अप्रार्थीगण

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेन्द्र सिंह राणावत ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.05.2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहे थे, और इन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक **FH/PFA/Notification/2011/440 Dated 25-07-2011** के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 03.05.2016 के अनुसार इनका कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया था और जिला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र इनके कार्य क्षेत्र में आते हैं। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.05.2016 को समय 04.50 पी.एम पर मैसर्स सत्येश ज्यूस सेंटर, 18, प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़ पर पहुँचें। वहां पर सत्यनारायण बाल्दी पुत्र मोहनलाल विक्रेता/मालिक की हैसियत से खाद्य पदार्थ Fruit Drink (Maaza Mango) व अन्य कोल्ड ड्रिंक्स आदि आम जनता को विक्रय कर रहे थे एवं विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखे हुए थे। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया तत्पश्चात् विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर 1 कार्टून में 12 सील्ड बोतल Fruit Drink (Maaza Mango) की (सील्ड 1.2–1.2 लीटर की) रखी पायी गई। मिलावट की शंका होने पर खाद्य पदार्थ Fruit Drink (Maaza Mango) का नमूना लेने हेतु मालिक को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म **V A** की प्रति गवाहान की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली, जो की न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ के 1.2 लीटर की 4 सील्ड प्लास्टिक बोतल को वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को रुपये 276/– नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा मौके के गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। साथ ही उक्त फर्म द्वारा प्रस्तुत उक्त खाद्य पदार्थ के क्रय बिल की प्रति व खाद्य अनुज्ञा पत्र की प्रति भी संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुदा खाद्य पदार्थ को चार बराबर–बराबर भागों में (प्रत्येक भाग में 1 सील्ड प्लास्टिक बोतल) बाट कर अलग–अलग रखा। उक्त नमूना भागों हेतु 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर लेबल चिपकाये लेबल पर खाद्य पदार्थ का नाम, स्थान व दिनांक आदि अंकित कर आवेदक आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाहान व व्यापारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या एएम–670 नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। एक सील

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नमूना भाग के सीरे पर, एक पेंदे पर एवं दाईं ओर एवं एक बाई ओर लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहान के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। विक्रेता को उक्त नमूने के एक भाग (चौथा भाग) को एक्रीऐटेड लैब में जांच कराने की जानकारी आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर ही दे दी गई थी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं मौके पर उपस्थित गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना सील चपडी किया गया, उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका पंचनामा पर अंकित किया गया। फर्द रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्रवाहक के साथ खाद्य विश्लेषक, उदयपुर को जमा करवाने हेतु भिजवाया गया। एक नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की प्रति एवं एक प्रति फार्म संख्या 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में जमा की खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2016/4000 दिनांक 08.07.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना वास्ते जांच क्रय किया गया था जो कि मिसब्राण्डेड होना पाया गया। जॉच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। उक्त फर्म भूपेन्द्र मार्केटिंग के संविधान के संबंध में रजिस्टर्ड पत्र द्वारा जानकारी चाही गई जिसके प्रत्युत्तर की प्रति मूल ही संलग्न है। मैसर्स भूपेन्द्र मार्केटिंग को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2016/4001 दिनांक 08.07.2016 के द्वारा जांच रिपोर्ट की प्रति एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म नं. 5 ए की प्रति प्रेषित की गई उक्त पत्र न्यायनिर्णयन आवेदन के संलग्न है। फर्म मैसर्स भूपेन्द्र मार्केटिंग एवं मैसर्स Hindustan Coca Cola Beverages Pvt Ltd. UDaipur से आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा रजिस्टर्ड पत्रांक 5845 दिनांक 28.11.2016, रजिस्टर्ड पत्रांक 6156

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 27.12.2016 व रजिस्टर्ड पत्रांक 1290 दिनांक 30.03.2017 के द्वारा उनकी फर्म के संविधान, नोमिनी एवं उक्त नमूने के खरीद बिल के संबंध में सूचना चाही गई थी जिसके प्रत्युत्तर में मात्र अपनी फर्म के नोमिनी की सूचना ही उपलब्ध कराई गई। उक्त फर्म मैसर्स Hindustan Coca Cola Beverages Pvt Ltd. UDaipur द्वारा उक्त नमूने के खरीद बिल आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त पत्रों की कार्यालय प्रति मय मूल पोस्टल रसीदों व प्राप्त मूल प्रत्युत्तर न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ असल प्रतियां संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक 4000 दि. 08.07.2016 की पालना में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/1643 दिनांक 27.04.17 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं। उक्त प्रकरण मे उक्त अभियुक्तगणों ने मिसब्राण्डेड खाद्य पदार्थ Fruit Drink (Maaza Mango) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 मे निर्धारित है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत है जिसे स्वीकार कर उक्त अभियुक्तगणों पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री बसन्तीलाल पोखरना ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया तथा दिनांक 22.06.2017 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 3.1.1(8), (10) एवं (11) खाद्य सुरक्षा मानक नियम 2011 के तहत प्रस्तुत किया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण ने बताया कि उक्त प्रकरण में आज की पेशी वास्ते सुनाने आरोप सारांश (Explain the offence with Act, Rules or Regulations) हेतु निर्धारित है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिपक्षी अपने अधिकृत पैरोकार बसंतीलाल पोखरना, एडवोकेट के जरिये रिप्रेजेंट होकर आक्षेपित आरोपों से इन्कार करते हैं तथा आरोपी पक्ष FSO एवं DO आदि गवाहों को जो सूचि गवाह में वर्णित है को खाने शहादत में आकर जिरह युक्त बयानों से साबित करने का आव्हान करते हैं। न्यायानुकूल निर्णयन एवं सुनवाई हेतु उक्त नियम 2011 के नियम 3.1.1(10) के तहत नियुक्त होने योग्य Panel Advocate के द्वारा आरोपी पक्ष रिप्रेजेंट होना जरूरी है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि इस प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करने हेतु आरोपी पक्ष के समस्त गवाहों के बयान लिए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जाकर प्रतिरक्षार्थ जिरह का अवसर प्रदान किया जावे एवं विसंगतीयों को टालने हेतु आरोपी पक्ष को Panel Advocate द्वारा रिप्रेजेंट करने का निर्देशन दिया जावे। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 22.06.2017 को सुना गया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अभिहित अधिकारी को साक्ष्य में हाजिर रहने की ईश्तदुआ की। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। हम खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट है जो कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अनुसंधान के संबंध में पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किये गये इसके साथ ही प्रकरण विगत लम्बे समय से लम्बित चल रहा है ऐसी स्थिति में अतिरिक्त शहादत किये जाने से प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब होगा, ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के नियम 3.1.1(8), (10) एवं (11) प्रस्तुत दिनांक 22.06.2017 को सारहीन होने से खारीज किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दिनांक 26.12.2019 को प्रारम्भिक आपत्तियां प्रस्तुत की एवं दिनांक 13.04.2022 को लिखित बहस प्रस्तुत करके प्रकरण में प्रारम्भिक आपत्तियों पर बहस नहीं करके सीधे प्रकरण में बहस किए जाने हेतु निवेदन किया जिस पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण का मुख्य कथन यह रहा कि हस्तगत प्रकरण का आधारभूत दस्तावेज खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट दिनांक 22.06.2016 है जिसमें नमूने की वस्तु माजा नामक फूट ड्रिंक को धारा 3(1)(zf)(c)(i) FSSA, 2006 में परिभाषित मिसब्राण्ड के हवाले से रेगूलेशन नं. 3.1.10 (i) FSS (F.P.S. and F.A.) रेगूलेशन 2011 का उल्लंघन करना दर्शाया गया है जिसके लिए प्रावधायी शास्ति धारा 52 एफएसएसए, 2006 में वर्णितानुसार अधिरोपित करने हेतु हस्तगत न्यायनिर्णयन आवेदन दायर किया गया है जो सरासर गलत होने से निरस्तनीय है। अव्वल तो आक्षेपित उल्लंघनता की कथित रेगूलेशन नं. 3.1.10(i) स्वतंत्रतः विद्यमान नहीं है अपितु FSS (F.P.S. and F.A.) Regulations, 2011 में रेगूलेशन नं. 3.1.10:(1)(i) के तौर पर विद्यमान है इसके अलावा उक्त रेगूलेशन नं. 3.1.10 (1) में खण्ड (i) के अलावा खण्ड (ii) एवं खण्ड (iii) तथा क्लाज (2), (3), (4) (i) से (xi) व क्लाज (5) भी अलग–अलग विषय–वस्तु एवं आशय से विद्यमान है जो गजट कॉपी के अध्ययन, विवेचन एवं परिशीलन द्वारा अवलोकनीय है। अतः उक्त न्यायनिर्णयन आवेदन गलत पेश करवाया है जो निरस्तनीय है। दिनांक 22.06.2016 को नमूने की जांच कथित खाद्य विश्लेषक, उदयपुर के द्वारा की गई है जबकि दिनांक 22.06.2016 को उदयपुर की उक्त लेबोरेट्री एफएसएसए, 2006 की धारा 3(p) में परिभाषित लेबोरेट्री के दायरे में नहीं आती है क्योंकि धारा 43 (1) एफएसएसए, 2006 की अनिवार्यता के तहत दिनांक 22.06.2016 को उदयपुर की उक्त लेबोरेट्री NABL Accredited and Notified नहीं थी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैगी के मामले में अनाधिकृत एवं अपंजीकृत प्रयोगशालाओं द्वारा किये गये अनेकानेक विश्लेषणों से नाराज होकर माननीय बोम्बे हाई कोर्ट ने निम्नांकित न्यायिक विवेचनाओं से FSSAI Authorities की कार्यवाही को गैर कानूनी मानते हुए निरस्त किया है यह फैसला बहुचर्चित रहा है एवं इसका प्रकाशन 2015(2) FAC-56 (Volume-86) में हुआ है जिसके मुख्य–मुख्य अंश निम्न प्रकार उद्धत किये जाते हैं:–

[Para 96. - It is not in dispute that the Laboratories in which these food samples were tested were either not accredited by NABL or not recognized by the Food Authority under section 43(1) of the Act or even if they were accredited or notified, they were not accredited to make analysis in respect of lead in the samples. There is no material on record to show whether the procedure of testing samples mentioned under the Act and Rules and Regulations framed which is thereunder has been followed. There is a grave doubt about the samples being tested at Avon Food Lab (Pvt.) Ltd. and even if they are so tested, prima facie, it does appear that procedure of testing the samples has not been followed. The contention of Mr. Pracha, the learned Counsel for Respondent No.2 that in view of the Notification issued on 05-07-2011 even the State and Central Laboratories, though not notified, were entitled to test the samples, is incorrect. The said Notification reads as under:-

"No. 83-Dir (Enf.)/FSSAI/2011

Food Safety & Standards Authority of India

(A Statutory Regulatory Body of Govt. of India)

Ministry of Health & Family Welfare 3rd Floor, FDA Bhawan,

Kotla Road New Delhi-110002

Dated : 5th July, 2011

To,

Food Safety Commissioner of all States/UTs

Subject :- Clarification on the status of Public Labs functioning at Centre/State/UT after the promulgation of FSS Act, 2006 with effect from 5 th August, 2011,

Section 43 of the FSS Act requires that all food testing under the Act will be done in NABL or any other FSSAI approved accredited lab. State Governments and UT Government have already been advised in this regard and the results a 'gap analysis commissioned by FSSAI in respect of the State Labs have been shared for appropriate action for the upgradation of the Labs to accredited standards. However, from the interaction with the State Governments it is clear that the process is likely to take some time and the labs will not be able to get accreditation before 5th August, 2011 when the FSS Act will become operational.

The matter has been examined and it is clarified that the existing Public Food Testing Laboratories which are testing food samples under PFA will continue to perform their function of food testing under Section 98 of FSS Act, 2006 till any notification is issued under Section 43 of FSS Act, 2006.

The Central Food Laboratories at Kolkata, Pune and Mysore and FRSL, Ghaziabad will function as the referral laboratories.

Yours sincerely, (S. S. Ghonkrokta) Director"

The said Notification clearly mentions that the said Notification had been issued till the Laboratories under the FSS Act, 2006 were accredited by NABL and recognized and notified by the Food Authority. It is an admitted position that in 2012 the several Laboratories have

been so recognized by the Food Authority and notified by issuing Notifications. The contention of the learned Coursel for Respondent No.2 is, WPL/1688/2015 therefore, not acceptable. The contention of Mr. Khambatta the learned Senior Counsel for Respondent Nos. 3 and 4 that this issue which was raised in rejoinder by the Petitioner was an afterthought, also cannot be accepter and, therefore, it is not possible to place reliance on the reports of the Food Analysts given by various States in respect of analysis of the samples of the product of the Petitioner and therefore decision taken by the Food Authority relying on these reports therefore will have to be set aside....)

चूंकि माननीय बोम्बे हाईकोर्ट द्वारा उक्त फैसला केन्द्रीय कानून एफएसएसए, 2006 के अन्तर्गत प्रसारित किया गया है जो देश के सभी अधीनस्थ संबंधित न्यायालयों एवं अधिकरणों को अनुसरण करना जरूरी होने से उक्त फैसले की रोशनी में सम्पूर्ण विवेचना करते हुए उक्त आवेदन पत्र का न्याय निर्णयन किया जाना प्रार्थनीय है। उक्त विनियम की अपेन्डिक्स–''ए की टेबल नं. 8 की एण्ट्री नं. ई में अनुमत अनुसार ही नमूने के पेय में फ्लेवरिंग एजेन्टस् एण्ड सब्सटांस संयोजित किये जाकर इस कानूनी प्रावधान में अंकितानुसार ही हूबहू लेबल डिक्लेशन किया है अर्थात् इस रेगूलेटरी प्रावधान की अक्षरशः पालना की गई है। इसलिये नरेटिव प्रावधान के उक्त रेगूलेशन नं. 3.1.10:(i) की उल्लंघनता का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। यदि मान भी लिया जावे की रेगूलेशन नं. 3.1.10 (i) FSS (F.P.S. and F.A.) रेगूलेशन 2011 का उल्लंघन हुआ है तो ऐसी सूरत में नमूने के लेबल में विद्यमान कथित डिफेक्ट/त्रुटि को दूर करवाने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी को धारा 32 के तहत अभिहित अधिकारी को आरोपी के नाम नोटिस प्रेषित कर लेबल में इम्प्रूवमेण्ट/रेक्टीफिकेश करवाना कानूनी जरूरी था किन्तु दोनों अधिकारियों ने अपने उक्त कानूनी कर्तव्यों की पालना नहीं की है एवं अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर उक्त न्यायनिर्णयन आवेदन दायर करवाया है जो निरस्तनीय है। साथ ही अप्रार्थीगण को नमूने के चौथे भाग की जांच NABL Accredited and FSSAI से नोटिफाईड फूड लेबोरेट्री एवं धारा 46 (4) एफएसएसए, 2006 सपठित नियम 2.4.6:(1) एफएसएस नियम, 2011 के तहत नमूने के दूसरे भाग की जांच रेफरल फूड लेबोरेट्री से करवाने का हक था किन्तु अभियोजन पक्ष ने उक्त दोनों कानूनी धाराओं को बेअसर एवं प्रभावहीन बनाते हुए अप्रार्थीगण को Accredited प्रयोगशाला से चौथे भाग एवं रेफरल प्रयोगशाला से नमूने के दूसरे भाग की जांच/विश्लेषण करवाने का मौका ही नहीं दिया। अतः जवाब एवं लिखित बहस में वर्णित कानूनी तथ्यों के आधार पर हस्तगत प्रकरण खारिज फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी विधिक प्रावधानों के तहत उक्त फर्म के खाद्य पदार्थ का नमूना लिये जाने के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लिये अधिकृत है जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 1 से 3 तक से होती है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 4 एवं 5 फार्म नंबर 5 ए एवं नमूना क्रय रसीद की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को खाद्य पदार्थ Fruit Drink (Maaza Mango) का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 एवं मौके के गवाहान के हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्ठि दस्तावेज क्रमांक 5 से होती है, उस पर भी विक्रेता एवं गवाहान की शहादत के रूप में हस्ताक्षर है, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 6 मौका फर्द रिपोर्ट से जाहिर होता है कि उक्त कार्यवाही दिनांक 19.05.2016 को मौके पर की गई। दस्तावेज क्रमांक 6 मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 19.05.2016 से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ Fruit Drink (Maaza Mango) जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध है से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-670** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 62 से सील चपडी किया। इस से स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया है। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 7 फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रवाहक रवि कुमार (सहायक कर्मचारी) के साथ आउटर कवर में सील बंद नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक **AM-670** मय लिफाफे के जमा कराये जाने हेतु भिजवाया गया जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 8 से होती है। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद दस्तावेज क्रमांक 9 एवं 10 का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि पत्रवाहक रवि कुमार द्वारा उक्त नमूना मय लिफाफे के दिनांक 20.05.2016 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)(**ii**) एवं 2.4.1(10)(**iii**) के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रसीद दस्तावेज क्रमांक 11 का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 12 के अवलोकन से जाहिर होता है कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2016/4000 दिनांक 08.07.2016 से अप्रार्थी संख्या 1 को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट

Web Copy - Not Official

संख्या **LS 284/ACT/2016/350 Dated 22-06-2016** की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई है, उक्त पत्र रिकार्ड पर है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट दस्तावेज कमांक 13 **LS 284/ACT/2016/350 Dated 22-06-2016** का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट एवं मतानुसार

Report No LS 284/Act/2016/350 Dated 22-06-2016

Certified that I PANKAJ KUMAR duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for RAJASTHAN STATE received from Sh. Devendra Singh Ranawat Food Safety Officer District Chittorgarh, a sample of Fruit Drink (Maaza Mango) Bearing code no, and serial no. AM-670 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.CH.O of District Chittorgarh on 20-05-2016 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows Brass Seal No 62 Intact and unbroken. The seals fixed on the container and outer cover tallied with the specimen seal impression sent separately, along with the copy of the memorandum, in sealed envelope.

I found the sample to be Fruit & Vegetable Products falling under Regulation No. 2.3.10(1) Thermally Processed Fruit Beverages/Fruit Drink/Ready to Serve Fruit Beverages of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analyzed on 26-05-2016 to 22-06-2016 and the result of its analysis is given below-

ANALYSIS REPORT---
(i) Sample description:- The sample contain in a original company pack pet bottle of 1.2L.
(ii) Physical appearance:- Yellowish in colour.
(iii) Label :-- Brand- Maaza Mango, Name of food- Ready to serve Fruit Drink, Mfg. By- Hindusthan Coca Cola Beverages Pvt. Ltd., Goblej, Gujrat-387440, Batch No.- 024A1D11, Mfd date 26-04-16, Green symbol of veg.- Present Ingredients- Water, Mango pulp (19.5%), Sugar, acidity, regulator (330), antioxidant (300) and preservatives (202), Contains permitted sunthetic food colour (110) and **added mango flavours (Natural, Natural-Identical and artificial flavouring substances), Contravention to regulation 3.1.10(i) of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011.** Contains Fruit. Best before 6 Months- Present Bar code no. 8901764092305, Fssai Lic. No. 10012021000238.

S. No.	Quality characteristics	Name of method of test used	Result	Prescribed standards asper (a) Food Safety and Standards(food products Standards and food additive) Regulations 2011|2.3.10(1)] (b) As per label declaration For proprietary food (c) As per provisions of the Act, rules, and regulations for both the above
1	Total soluble solids (m/m)	Instrumental method, Ref:- Manual method-D.G.H.S.	15.23%	10% (min.)
2	Test for artificial sweeteners	Phenolsulphuric acid test, Ref:- Manual method-D.G.H.S. (Food Additives)	Negative	Negative
3	Test for sucrose	Modified saliwanoff method, Ref:- Manual method-D.G.H.S. (Milk & Milk Products)	Positive	Positive
4	Added colouring matter	Paper Chromatographic method, Ref - Manual method-D.G.H.S. (Food Additives)	Sunset yellow	Permitted

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5	Microbiology Yeast and mould count	Ref:- Manual method-D.G.H.S.	Absent	Conforms Microbiology

Opinion:- The sample of Fruit Drink (Maaza Mango) Bearing code no. and serial no. AM-670 of Designated office (Food Safety) Cum C.M.&H.O of District Chittorgarh is Misbranded food. The sample is misbranded food under section 3(1)(zf)(C)(i) of the Food Safety & Standards Act 2006.

खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेन्द्र सिंह राणावत द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील संख्या 62 से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक का प्राप्त हुआ। उक्त नमूना दिनांक 26.05.2016 से 22.06.2016 तक जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि the sample to be Fruit & Vegetable Products falling under Regulation No. 2.3.10(1) Thermally Processed Fruit Beverages/Fruit Drink/Ready to Serve Fruit Beverages of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011 एवं **added mango flavours (Natural, Natural-Identical and artificial flavouring substances), Contravention to regulation 3.1.10(i) of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011.**

उक्त नमूना जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-670** Fruit Drink (Maaza Mango) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(zf)(C(i)** के तहत मिसब्राण्ड स्तर का पाया गया है। जिसकी पुष्टि स्वरूप खाद्य विश्लेषक द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई है जो कि रिकार्ड पर है। हमने अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चितौडगढ के रजिस्टर्ड पत्रांक/एफएसएसए/2016/4000 दिनांक 08.07.2016 एवं रजिस्टर्ड पत्रांक/एफएसएसए/2016/4001 दिनांक 08.07.2016 का अवलोकन किया, जिससे अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। अतः अधिवक्ता अप्रार्थीगण का कथन कि नमूने के चौथे भाग की जांच NABL Accredited and FSSAI से नोटिफाईड फूड लेबोरेट्री एवं धारा 46 (4) एफएसएसए, 2006 सपठित नियम 2.4.6:(1) एफएसएस नियम, 2011 के तहत नमूने के दूसरे भाग की जांच रेफरल फूड लेबोरेट्री से करवाने का हक था किन्तु अभियोजन पक्ष ने उक्त दोनों कानूनी धाराओं को बेअसर एवं प्रभावहीन बनाते हुए अप्रार्थीगण को Accredited प्रयोगशाला से चौथे भाग एवं रेफरल प्रयोगशाला से नमूने के दूसरे भाग की जांच/विश्लेषण करवाने का मौका ही नहीं दिया, मानने योग्य नहीं है। हमने अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चितौडगढ के रजिस्टर्ड पत्रांक/एफएसएसए/2016/5845

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 28.11.2016, 6156 दिनांक 27.12.2016 एवं 1290 दिनांक 30.03.2017 का अवलोकन किया, जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण से फर्म के संविधान के संबंध सूचना चाही गई। इस पर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 02.12.2016 से एवं मैसर्स हिन्दुस्तान कोकाकोला ब्रेवरेज प्राईवेट लिमिटेड, उदयपुर द्वारा पत्र दिनांक 10.04.2017 से उक्त सूचना आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई गई जो कि रेकार्ड पर है। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/ 2017/1643 दिनांक 27.04.2017 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(e) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जाकर अधिकृत किया गया है। उक्त समस्त दस्तावेज शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। जहां तक अप्रार्थीगण द्वारा अधिनियम की धारा 32 के संबंध में तथ्य उठाया गया तो इस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 36 के तहत कार्यवाही संपादित की जा चुकी है ऐसी स्थिति में इस तथ्य को वर्तमान परिस्थिति में देखा जाना उचित नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा नहीं होते है। इसके साथ ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने परिवाद के समस्त तथ्यों को ठोस दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराया गया है एवं हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट है, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। उक्त खाद्य पदार्थ का अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के पास बिल का नहीं होना जाहिर होता है। निर्माता को निर्माण/पैकिंग के समय ही लेबल पर नियमानुसार सभी आवश्यक पूर्तियां करनी चाहिये थी, किन्तु अप्रार्थी का भी यह दायित्व बनता है कि वह आयातित खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु प्रदर्शित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उक्त खाद्य पदार्थ पर नियमानुसार पूर्ति है। सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का अवलोकन किया अधिनियम की धारा 25 से 27 में निम्न प्रावधान प्रावधित किये गये है :–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25. All imports of articles of food to be subject to this Act.

(1) No person shall import into India –

(i) any unsafe or misbranded or sub-standard food or food containing extraneous matter;

(ii) any article of food for the import of which a licence is required under any Act or rules or regulations, except in accordance with the conditions of the licence; and

(iii) any article of food in contravention of any other provision of this Act or of any rule or regulation made thereunder or any other Act.

(2) The Central Government shall, while prohibiting, restricting or otherwise regulating import of article of food under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), follow the standards laid down by the Food Authority under the provisions of this Act and the Rules and regulations made thereunder.

26. Responsibilities of the Food business operator.

(1) Every food business operator shall ensure that the articles of food satisfy the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder at all stages of production, processing, import, distribution and sale within the businesses under his control.

(2) No food business operator shall himself or by any person on his behalf manufacture, store, sell or distribute any article of food –

(i) which is unsafe; or

(ii) which is misbranded or sub-standard or contains extraneous matter; or

(iii) for which a licence is required, except in accordance with the conditions of the licence; or

(iv) which is for the time being prohibited by the Food Authority or the Central Government or the State Government in the interest of public health; or

(v) in contravention of any other provision of this Act or of any rule or regulation made thereunder.

(3) No food business operator shall employ any person who is suffering from infectious, contagious or loathsome disease.

(4) No food business operator shall sell or offer for sale any article of food to any vendor unless he also gives a guarantee in writing in the form specified by regulations about the nature and quality of such article to the vendor: Provided that a bill, cash memo, or invoice in respect of the sale of any article of food given by a food business operator to the vendor shall be deemed to be a guarantee under this section, even if a guarantee in the specified form is not included in the bill, cash memo or invoice.

(5) Where any food which is unsafe is part of a batch, lot or consignment of food of the same class or description, it shall be presumed that all the food in that batch, lot or consignment is also unsafe, unless following a detailed assessment within a specified time, it is found that there is no evidence that the rest of the batch, lot or consignment is unsafe: Provided that any conformity of a food with specific provisions applicable to that food shall be without prejudice to the competent authorities taking appropriate measures to impose restrictions on that food being placed on the market or to require its withdrawal from the market for the reasons to be recorded in writing where such authorities suspect that, despite the conformity, the food is unsafe.

27. Liability of the manufacturers, packers, wholesalers, distributors and sellers

(1) The manufacturer or packer of an article of food shall be liable for such article of food if it does not meet the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder.

(2) The wholesaler or distributor shall be liable under this Act for any article of food which is–

Web Copy - Not Official

(a) Supplied after the date of its expiry; or
(b) Stored or supplied in violation of the safety instructions of the manufacturer; or
(c) Unsafe or misbranded; or
(d) Unidentifiable of manufacturer from whom the article of food have been received; or
(e) Stored or handled or kept in violation of the provisions of this Act, the rules and regulations made thereunder; or
(f) received by him with knowledge of being unsafe.

(2) The seller shall be liable under this Act for any article of food which is –
(a) sold after the date of its expiry; or
(b) handled or kept in unhygienic conditions; or
(c) misbranded; or
(d) unidentifiable of the manufacturer or the distributors from whom such articles of food were received; or
(e) received by him with knowledge of being unsafe.

अधिनियम के अनुसार खाघ पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित है, किन्तु इनके द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थीगण को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 सत्यनारायण पुत्र मोहन लाल बाल्दी (विक्रेता/मालिक), मैसर्स सत्येश ज्यूस सेंटर प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़, अप्रार्थी संख्या 2 शिव सिंह चारण पुत्र मूलसिंह चारण (विक्रेता/मालिक) मैसर्स भूपेन्द्र मार्केटिंग दुकान नम्बर–11, कुम्भानगर, चित्तौड़गढ़ निवासी 67, नीलकंठ कॉलोनी, चित्तौड़गढ़, अप्रार्थी संख्या 3 रमेश सिंह रावत पुत्र गुमान सिंह रावत (नोमिनी) मैसर्स हिन्दुस्तान कोका कोला ब्रेवरेजेज प्राईवेट लिमिटेड़, ई–1552/1, चिकलवास बडगांव, उदयपुर निवासी एन–III/13, एल. आई. सी. फ्लेट्स सेक्टर–6, विद्याधर नगर, जयपुर एवं अप्रार्थी संख्या 4 मैसर्स हिन्दुस्तान कोका कोला ब्रेवरेजेज प्राईवेट लिमिटेड़, ई–1552/1, चिकलवास बडगांव, उदयपुर को उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभिुक्तगण को अधिनियम की धारा 52 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 52 के अनुसार–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

49. General provisions relating to penalty.

While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,

(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,

(c) The repetitive nature of the contravention,

(d) Whether the contravention is without his knowledge, and

(e) Any other relevant factor,

52. Penalty for misbranded food.

(1) Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is misbranded, shall be liable to a penalty which may extend to three lakh rupees.

(2) The Adjudicating Officer may issue a direction to the person found guilty of an offence under this section, for taking corrective action to rectify the mistake or such article of food shall be destroyed.

चूंकि अप्रार्थीगण की दोष सिद्धि घोषित की गई है, जिससे अप्रार्थीगण को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है किन्तु, विपक्षी संख्या 3 रमेश सिंह रावत पुत्र गुमान सिंह रावत (नोमिनी) मैसर्स हिन्दुस्तान कोका कोला ब्रेवरेजेज प्राईवेट लिमिटेड़, ई–1552/1, चिकलवास बडगांव, उदयपुर निवासी एन–III/13, एल. आई. सी. फ्लेट्स सेक्टर–6, विद्याधर नगर, जयपुर एवं विपक्षी संख्या 4 मैसर्स हिन्दुस्तान कोका कोला ब्रेवरेजेज प्राईवेट लिमिटेड़, ई–1552/1, चिकलवास बडगांव, उदयपुर जो कि उक्त खाद्य पदार्थ के स्टॉकिस्ट होकर डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि प्रकरण में स्वयं पक्षकार होकर विपक्षी संख्या 3 व 4 है जिससे विपक्षी संख्या 1 सत्यनारायण पुत्र मोहन लाल बाल्दी (विक्रेता/मालिक), मैसर्स सत्येश ज्यूस सेंटर प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़ एवं विपक्षी संख्या 2 शिव सिंह चारण पुत्र मूलसिंह चारण (विक्रेता/मालिक) मैसर्स भूपेन्द्र मार्केटिंग दुकान नम्बर–11, कुम्भानगर, चित्तौड़गढ़ जो कि उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रेता हैं को अर्थदण्ड से मुक्त किया जाता है। अतः अभियुक्त संख्या 3 एवं 4 को उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय एवं निर्माण करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** में अभियुक्त की दोषसिद्धि घोषित किये जाने से अभियुक्त संख्या 3 रमेश सिंह रावत पुत्र गुमान सिंह रावत (नोमिनी) मैसर्स हिन्दुस्तान कोका कोला ब्रेवरेजेज प्राईवेट लिमिटेड़, ई–1552/1, चिकलवास बडगांव, उदयपुर निवासी एन–III/13, एल. आई. सी. फ्लेट्स सेक्टर–6, विद्याधर नगर, जयपुर एवं अभियुक्त संख्या 4 मैसर्स हिन्दुस्तान कोका कोला ब्रेवरेजेज प्राईवेट लिमिटेड़, ई–1552/1, चिकलवास बडगांव, उदयपुर को संयुक्त रूप से रूपये 1,50,000/– अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभियुक्तगण उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(गितेश श्री मालवीय)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़